न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी एल.आर.गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 11/2015 अपील

1. श्री घनश्याम पिता रामेश्वर ब्राह्मण निवासी आमेसर तहसील आसीन्द, जिला भीलवाडा

बनाम

1. श्री रामप्यार पिता गजानन्द ब्राह्मण निवासी आमेसर
2. श्री देवीलाल पिता गजानन्द ब्राह्मण निवासी आमेसर
3. श्री शंकर पिता उंकार ब्राह्मण निवासी आमेसर
4. श्री राधेश्याम पिता उंकार ब्राह्मण निवासी आमेसर
5. श्री जगदीश पिता उंकार ब्राह्मण निवासी आमेसर
6. श्री गोविन्द पिता उंकार ब्राह्मण निवासी आमेसर
7. तहसीलदार आसीन्द , जिला भीलवाडा

–अपीलार्थी

–रेस्पोडेण्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध ग्राम आमेसर तहसील आसीन्द बमामले नामान्तरकरण सं. 1651 निर्णय दिनांक 15.02.2013

उपस्थित –
श्री सत्यनारायण सोमानी अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
श्री विपुल बापना राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं. 7 की ओर से

निर्णय

दिनांक 27.02.2017

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्ध आदेश तहसीलदार आसीन्द बमामले नामान्तरकरण सं0 1651 दिनांक 15.02.2013 के खिलाफ दिनांक 27.03.2015 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खोला गया नामान्तरकरण सं. 1651 दिनांकित 15.02.2013 विधि एवं तथ्यों के विरूद्व होने से निरस्त होने योग्य है । अपील मेमों में अंकित सजरे अनुसार अपीलाण्ट के दादा उंकार पिता धूला ब्राह्मण के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की ग्राम आमेसर पटवार हल्का

अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

आमेसर में आराजी नं. 3527 , 3528, 3718, 3720 किता 4 रकबा 0.71 है0 स्थित थी तथा उंकार पिता धूला के निधन के पश्चात् उक्त आराजियात पर कब्जा काश्त सजरे अनुसार उंकार के वारिसान का चला आ रहा है । उक्त आराजियात को रेस्पोडेण्ट सं. 03 ने उंकार पिता धूला ब्राह्मण के विधिक वारिसानों की जाँच पड़ताल किये बिना ही रेस्पोडेण्ट सं. 1 व 2 के नाम पर खोले जाने के आदेश पारित कर दिया जबकि रेस्पोडेण्ट सं. 2 देवीलाल पिता गजानन्द ब्राह्मण रिकार्ड के अनुसार इस नाम का कोई लड़का श्री गजानन्द के है ही नहीं तथा श्री गजानन्द ब्राह्मण एवं रेस्पोडेण्ट सं. 01 उंकार पिता धूला के वारिस है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने " प्रशासन गांवों के संग अभियान" में उंकार पिता धूला ब्राह्मण के विधिक वारिसानों की जाँच किये बिना एवं उनके वारिसानों को सुने बिना मनमकसूद तोर नामान्तरकरण कार्यवाही कर सजरा वर्णित कर रेस्पोडेण्ट सं. 1 व 2 को उंकार पिता धूला के वारिसान दर्शाते हुए खोला है जो पूर्णतया विधि विरूद्व एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होकर निरस्त योग्य है । तथाकथित नामान्तरकरण की जानकारी अपीलाण्ट को दिनांक 01.03.2015 को हुई एवं बिना किसी देरी के नकल हेतु आवेदन कर नकल प्राप्त की । फिर भी अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किये जाने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है । अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रशासन गांवों के संग अभियान में खोले गये नामान्तरकरण सं. 1651 दिनांकित 15.02.2013 को निरस्त किया जाकर वादग्रस्त आराजियात को अपीलाण्ट एवं उंकार पिता धूला के विधिक वारिसानों के नाम किये जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावे।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 07.04.2015 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश संबंधी रिकार्ड़ तलब किया गया।

अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपील मेमों में अंकित आराजियात को रेस्पोडेण्ट सं. 03 ने उंकार पिता धूला ब्राह्मण के विधिक वारिसानों की जाँच पड़ताल किये बिना ही रेस्पोडेण्ट सं. 1 व 2 के नाम पर खोले जाने के आदेश पारित कर दिया जबकि रेस्पोडेण्ट सं. 2 देवीलाल पिता गजानन्द ब्राह्मण रिकार्ड के अनुसार इस नाम का कोई लड़का श्री गजानन्द के है ही नहीं तथा श्री गजानन्द ब्राह्मण एवं रेस्पोडेण्ट सं. 01 उंकार पिता धूला के

वारिस है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने " प्रशासन गांवों के संग अभियान" में उंकार पिता धूला ब्राह्मण के विधिक वारिसानों की जाँच किये बिना एवं उनके वारिसानों को सुने बिना मनमकसूद तोर नामान्तरकरण कार्यवाही कर सजरा वर्णित कर रेस्पोडेण्ट सं. 1 व 2 को उंकार पिता धूला के वारिसान दर्शाते हुए खोला है जो पूर्णतया विधि विरूद्व एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होकर निरस्त योग्य है ।

सर्वप्रथम अपील मेमों में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम धारा 5 के आवेदन पर मियाद के बिन्दु पर विचार किया जा रहा है। प्रार्थी ने मियाद के समर्थन मे शपथ पत्र पेश किया है । न्यायहित में नैसर्गिक प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखा जाकर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुये अपील अपीलार्थी मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते है।

पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया। प्रशासन गांवों के संग अभियान में ग्राम आमेसर तहसील आसीन्द के नामान्तरकरण सं. 1651 में उंकार पिता धूला ब्राह्मण सा. देह खातेदार के फौत होने पर पटवारी हल्का द्वारा विरासत में उंकार पिता धूला ब्राह्मण के बजाय रामप्यार, देवीलाल पिता गजानन्द ब्राह्मण के नाम दर्ज किया। पटवारी हल्का आमेसर द्वारा वारिसान के नाम नामान्तरकरण न खोलकर गलत वारिसान के नाम उक्त नामान्तरकरण खोल दिया , जबकि उंकार पिता धूला के पुत्र रामेश्वर फौत, शंकर पुत्र राधेश्याम पुत्र जगदीश पुत्र गोविन्द पुत्र होते हुए भी पटवारी हल्का ने उक्त गलत नामान्तरकरण खोल दिया जिसे तहसीलदार आसीन्द ने दिनांक 15.02.2013 को स्वीकृत कर दिया, जो विधिक रूप से उचित प्रतीत नहीं होता है । दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर विधिक निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रकरण को रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित है । अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपीलाण्ट की अपील स्वीकार योग्य ठहरती है । अतएव–

आदेश

ग्राम आमेसर तहसील आसीन्द के नामान्तरकरण सं. 1651 आदेश दिनांक 15.02.2013 के संबंध में प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अंतर्गत स्वीकार कर उक्त नामान्तरकरण सं.

1651 दिनांक 15.02.2013 को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार आसीन्द को इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर विधिक निर्णय पारित करें । निर्णय की प्रति मय तलविदा रिकार्ड़ अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार आसीन्द को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27.2.17

(एल.आर.गुगरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा